रजिस्ट्री सं० डी०—221 REGISTERED No. D.—221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2—अनुभाग 3क
PART II—Section 3A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 24 दिसम्बर, 1998/3 पौष, 1920 (शक) [खण्ड XXIX
No. 4] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 1998/PAUSA 3, 1920 (SAKA) [Vol. XXIX

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)
राजभाषा खण्ड

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1998/3 पौष, 1920 (शक)

मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी रूल्स, 1972 का हिन्दी अनुवाद, राष्ट्रपति के प्राधिकार से, प्रकाशित किया जाता है और राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, यह हिन्दी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :—

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)
OFFICIAL LANGUAGES WING

New Delhi, December 24, 1998/Pausa 3, 1920 (Saka)

The translation in Hindi of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (*b*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

भारत सरकार

विदेश व्यापार मंत्रालय

सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972

[24 सितम्बर, 1998 को यथाविद्यमान]

का० आ० सं० 485 (अ)—केन्द्रीय सरकार, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 है ।

(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें :

परन्तु इन नियमों के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।*

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) अभिप्रेत है ।

(ख) "समिति" से धारा 8 के अधीन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त समितियों में से कोई समिति अभिप्रेत है;

(ग) प्ररूप से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "सचिव" से धारा 7 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सचिव अभिप्रेत है;

(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(च) "उपाध्यक्ष" से प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) "वर्ष" से अप्रैल के प्रथम दिन से शुरु होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

प्राधिकरण और उसकी समितियां

3. **प्राधिकरण का गठन**—(1) प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सदस्य और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 अन्य सदस्य होंगे ।

(2) उपर्युक्त 20 सदस्यों में से :—

(क) आठ सदस्य ऐसे राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनका समुद्र तट है, जिनमें आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों से एक-एक प्रतिनिधि होगा;

(ख) एक सदस्य गोवा, दमन और दीव, अंन्दमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकाय, अमिनी द्वीप, पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रों का चक्रानुक्रम में प्रतिनिधित्व करेगा :

परंतु यदि इस खंड में उल्लिखित संघ राज्यक्षेत्रों में से कोई किसी समय राज्य बन जाता है तो उस राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति प्राधिकरण के अगले गठन तक उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राधिकरण का सदस्य बना रहेगा :

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त उपबंध संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यमान सदस्यों को लागू होगा ।

(ग) चार सदस्य क्रमशः मत्स्य जलयानों, समुद्री उत्पादों के लिए प्रसंस्करण संयंत्रों और भंडारण परिसरों और सामुद्रिक उत्पादों के परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहनों के स्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे;

(घ) तीन सदस्य सामुद्रिक उत्पाद उद्योग में लगे हुए व्यौहारियों और व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे;

(ङ) एक सदस्य सामुद्रिक उत्पाद उद्योग से संबंधित अनुसंधानों में लगी हुई अनुसन्धान संस्थाओं में नियोजित व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा; और

*केन्द्रीय सरकार, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 1 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 जुलाई, 1972 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको अध्याय 7 को छोड़कर उक्त नियमों के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

केन्द्रीय सरकार, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 1 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 25 अगस्त, 1978 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको समय-समय पर यथा-संशोधित उक्त नियमों के अध्याय 7 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

(च) तीन सदस्य ऐसे अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनका केन्द्रीय सरकार की राय में प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए ।

(3) केन्द्रीय सरकार उपनियम (2) के खण्ड (ग) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट हितों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के पहले ऐसे परामर्श कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

4. **सदस्यों की पदावधि**—(1) कोई सदस्य, तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो ऐसे सदस्य के रूप में उसे नियुक्त करने वाली अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन निर्वाचित या नियुक्त कोई सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा यदि वह :-

(i) संसद् के उस सदन का सदस्य नहीं रहता है, जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ था; या

(ii) उस पद पर, जिसके आधार पर वह नियुक्त किया गया था, नहीं रहता है; या

(iii) जिस प्रवर्ग से उनको चुना गया उस प्रवर्ग के प्रतिनिधित्व की समाप्ति पर ।

(2) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित या नियुक्त किया गया कोई सदस्य उस समय तक पद धारण करेगा जब तक वह सदस्य जिसके स्थान पर उसे निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, रिक्ति के न होने की दशा में पद धारण करता ।

5. **सदस्यता सूची**—सचिव, सदस्यों के नाम और उनके पते का अभिलेख रखेगा ।

6. **पते में परिवर्तन**—कोई सदस्य अपने पते में किसी परिवर्तन की सूचना सचिव को देगा । यदि वह पते के परिवर्तन की सूचना देने में असमर्थ रहता है तो सरकारी अभिलेखों में दिया गया पता, सभी प्रयोजनों के लिए उसका पता समझा जाएगा ।

7. **त्यागपत्र**—(1) कोई सदस्य अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(2) सदस्य का पद, उस सदस्य के त्यागपत्र की स्वीकृति की तारीख से या अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पूर्वतर हो, रिक्त हो जाएगा ।

(3) अध्यक्ष, प्राधिकरण की अगली बैठक में सदस्य के त्यागपत्र की स्वीकृति की सूचना देगा ।

8. **सदस्यों का हटाया जाना**—केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी :—

(क) यदि वह विकृतचित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया समझा जाता है; या

(ख) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) यदि वह नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(घ) यदि, अध्यक्ष की अनुमति के बिना वह प्राधिकरण की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है ।

9. **भारत से अनुपस्थिति**—(1) कोई सदस्य भारत से बाहर जाने से पूर्व :—

(क) वह भारत से अपने प्रस्थान और भारत में अपनी प्रत्याशित वापसी की तारीख की सूचना सचिव को देगा; और

(ख) यदि वह छः मास से अधिक अवधि के लिए भारत से अनुपस्थित होना चाहता है तो वह अध्यक्ष से लिखित रूप में अनुपस्थिति की इजाजत लेगा ।

(2) यदि कोई सदस्य उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन किए बिना भारत छोड़ता है तो उसने भारत से अपने प्रस्थान की तारीख से अपना पद त्याग दिया समझा जाएगा ।

10. **उपाध्यक्ष**—(1) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष 30 जून के पहले हुई अन्तिम बैठक में अपने सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगा जो एक जुलाई से एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु ऐसे किसी वर्ष में, जिसमें सभी सदस्यों की पदावधि 30 जून को समाप्त हो जाती है, प्राधिकरण के पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बैठक में उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा और इस प्रकार निर्वाचित उपाध्यक्ष आगामी 30 जून तक पद धारण करेगा ।

(2) यदि त्यागपत्र या सदस्यता की समाप्ति के कारण या अन्यथा उपाध्यक्ष के पद में आकस्मिक रिक्ति होती है तो प्राधिकरण अपनी अगली बैठक में किसी अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर सकेगा जो उपनियम (1) के अधीन निर्वाचित उपाध्यक्ष की पदावधि के शेष बचे भाग के लिए पद धारण करेगा ।

11. **समितियों की नियुक्ति**—(1) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष 30 जून के पहले आयोजित अन्तिम बैठक में निम्नलिखित स्थायी समितियां नियुक्त करेगा, अर्थात्:—

क. कार्यकारिणी समिति,

ख. तकनीकी समिति, और

ग. निर्यात संवर्धन समिति ।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त स्थायी समितियां एक जुलाई से एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगी ।

(3) कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित होंगे :—

क. अध्यक्ष, जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा;

ख. उपाध्यक्ष;

ग. निदेशक;

घ. सचिव; और

(ङ) तीन अन्य सदस्य, जो प्राधिकरण के सदस्यों में से उनके द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किए जाएंगे, जो प्राधिकरण द्वारा अधिकथित की जाए ।

(4) तकनीकी समिति में निम्नलिखित होंगे :—

क. अध्यक्ष, जो उसका पदेन् अध्यक्ष होगा;

ख. उपाध्यक्ष;

ग. निदेशक; और

घ. आठ अन्य सदस्य; जो प्राधिकरण के सदस्यों में से उनके द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किए जाएंगे, जो प्राधिकरण द्वारा अधिकथित की जाए ।

(5) निर्यात संवर्धन समिति में निम्नलिखित होंगे :—

क. अध्यक्ष, जो उसका पदेन् अध्यक्ष होगा ;

ख. उपाध्यक्ष;

ग. निदेशक; और

घ. तीन अन्य सदस्य, जो प्राधिकरण के सदस्यों में से उनके द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किए जाएंगे, जो प्राधिकरण द्वारा अधिकथित की जाए ।

12. **समितियों के कृत्य**—(क) **कार्यकारिणी समिति**—कार्यकारिणी समिति, उन निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित किए जाएं, उन कृत्यों के अतिरिक्त, जो इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से उसे सौंपे गए हैं, ऐसे विषयों की बाबत, जो तकनीकी समिति या निर्यात संवर्धन समिति को विनिर्दिष्ट रूप से समनुदेशित नहीं किए गए हैं, प्राधिकरण के किन्ही अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी ।

(ख) **तकनीकी समिति**—तकनीकी समिति, उन निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित किए जाएं, सामुद्रिक उत्पाद उद्योग से संबंधित प्रौद्योगिकीय अनुसंधानों के संवर्धन की बाबत और ऐसे उपायों के संबंध में, जो वितरण, गहरे समुद्र और अपतट में मछली पकड़ने, सामुद्रिक उत्पादों के प्रसंस्करण और भंडारण और उसके परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहन से संबंधित क्रियाकलापों के विकास के लिए किए जा सकते हैं, प्राधिकरण के सभी कृत्यों का निर्वहन करेगी ।

(ग) **निर्यात संवर्धन समिति**—निर्यात संवर्धन समिति, उन निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित किए जाएं, सामुद्रिक उत्पादों के निर्यात के संवर्धन की बाबत प्राधिकरण के सभी कृत्यों का निर्वहन करेगी ।

अध्याय 3

प्राधिकरण की बैठकों की प्रक्रिया

13. **प्राधिकरण की बैठकें**—प्रति वर्ष प्राधिकरण की कम से कम दो साधारण बैठकें, ऐसी तारीखों को और ऐसे स्थानों पर होंगी, जो अध्यक्ष ठीक समझे । किन्हीं दो साधारण बैठकों के बीच का अन्तराल, किसी भी दशा में आठ मास से अधिक नहीं होगा ।

14. **बैठक बुलाने की शक्ति**—(1) अध्यक्ष, किसी भी समय, प्राधिकरण की बैठक बुला सकेगा और यदि कम से कम दस सदस्यों द्वारा बैठक बुलाने की मांग लिखित रूप में उसे प्रस्तुत की जाती है तो वह ऐसा कर सकेगा ।

(2) अध्यक्ष किसी अधिकारी से प्राधिकरण की किसी बैठक में भाग लेने की अपेक्षा कर सकेगा या ऐसे किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा जिसे प्राधिकरण के विचाराधीन किसी मामले से संबंधित या उससे सुसंगत विषय में पर्याप्त जानकारी, अनुभव या जिसकी पृष्ठभूमि है किन्तु ऐसा अधिकारी या व्यक्ति मतदान का हकदार नहीं होगा ।

(3) प्राधिकरण की किसी भी बैठक के कम से कम 14 स्पष्ट दिन पूर्व आशयित बैठक के समय और स्थान की सचिव द्वारा हस्ताक्षरित सूचना केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और प्रत्येक सदस्य के पते पर छोड़ी या डाक द्वारा भेजी जाएगी :

परंतु अपरिहार्यता के मामले में, अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय प्राधिकरण की विशेष बैठक बुलायी जा सकेगी, जो इस बैठक के आयोजन के सात दिन पूर्व में केन्द्रीय सरकार और सदस्यों को चर्चा के विषय, मामले और वे कारण सूचित करेगा, जिनके कारण वह बैठक बुलाना अपरिहार्य समझता है ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी भी समय प्राधिकरण की बैठक बुला सकेगी ।

15. **गणपूर्ति**—(1) प्राधिकरण की बैठक में जब तक कम से कम दस सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तब तक किसी कार्य का संव्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(2) यदि किसी समय बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या से कम है तो पीठासीन व्यक्ति, स्थगित बैठक की तारीख, समय व स्थान के संबंध में सदस्यों को सूचित करने के बाद ऐसे अधिवेशन की तारीख से तीन दिन के अपश्चात् की तारीख के लिए बैठक को स्थगित कर सकेगा और तत्पश्चात् ऐसी स्थगित बैठक में पीठासीन व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उपस्थित सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिए बिना, मूल बैठक में संव्यवहार किए जाने के लिए आशयित कार्य का निपटान करे ।

16. **बैठकों का अध्यक्ष**—अध्यक्ष प्राधिकरण की प्रत्येक उस बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा । यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे ।

17. **कार्यसूची**—(1) अध्यक्ष प्राधिकरण की बैठक के कम से कम दस दिन पहले ऐसी बैठकों में विचार किए जाने वाले कार्यों की एक सूची तैयार कराएगा और उसे केन्द्रीय सरकार और प्राधिकरण के सदस्यों को परिचालित कराएगा ।

(2) ऐसे किसी कारबार का, जिसे कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, अध्यक्ष की अनुमति के बिना प्राधिकरण की बैठक में संव्यवहार नहीं किया जाएगा ।

18. **मतदान**—(1) प्राधिकरण की बैठक के समक्ष लाया गया प्रत्येक प्रश्न उपस्थित रहने वाले सदस्यों द्वारा मतदान द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।

(2) मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का मत निर्णायक होगा ।

19. **परिचालन द्वारा कार्य**—(1) ऐसा कोई कार्य, जिसे प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, पत्रों के परिचालन द्वारा सदस्यों को (ऐसे सदस्यों से भिन्न, जो भारत में नहीं हैं) निर्दिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार परिचालित पत्रों की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भी भेजी जाएंगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन परिचालित कोई प्रस्ताव या संकल्प, जो ऐसे सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया है जिन्होंने अपने विचार अभिलिखित किए हों, ऐसे प्रभावी और आबद्धकर होगा, मानो ऐसा प्रस्ताव या संकल्प किसी बैठक में सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया था :

परन्तु बोर्ड के कम से कम दस सदस्यों ने प्रस्ताव या संकल्प पर अपने विचार अभिलिखित किए हों :

परन्तु यह और कि जब कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालन द्वारा सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाता है तब कोई पांच सदस्य यह अपेक्षा कर सकेंगे कि यह प्रस्ताव या संकल्प बैठक में सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाए और तदुपरांत ऐसा निर्देश प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों को किया जाए :

परन्तु यह भी कि संकल्पों के परिचालन का अवलंब केवल अपरिहार्य मामलों में ही लिया जा सकेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई कार्य सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाता है, वहां सदस्यों के जवाबों की प्राप्ति के लिए कम से कम सात स्पष्ट दिन की अवधि अनुज्ञात की जाएगी और ऐसी अवधि की गणना कार्य की सूचना जारी करने की तारीख से की जाएगी ।

(4) यदि इस नियम के अधीन कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालित किया जाता है तो परिचालन का परिणाम सभी सदस्यों और केन्द्रीय सरकार को सूचित किया जाएगा ।

(5) पत्रों के परिचालन द्वारा प्रश्नों पर किए गए सभी विनिश्चयों को अभिलेख के लिए प्राधिकरण की अगली बैठक में रखा जाएगा ।

20. **कार्य का अभिलेख**—(1) प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों की सभी मदों का अभिलेख सचिव द्वारा रखा जाएगा और ऐसे अभिलेख की प्रतियां उनके तैयार होने के तुरन्त बाद केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी ।

(2) जब नियम 19 के अधीन पत्रों के परिचालन द्वारा कोई कार्य किया जाता है तब इस प्रकार किए गए कार्य का अभिलेख अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3) प्राधिकरण के प्रत्येक अधिवेशन में किए गए कार्य का अभिलेख यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या ऐसे अधिवेशन के पीठासीन सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

21. **पुनर्विलोकन**—(1) केन्द्रीय सरकार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, प्राधिकरण के किसी भी विनिश्चय का पुनर्विलोकन कर सकेगी और ऐसी रीति से, जो वह ठीक समझे, ऐसा कोई आदेश पारित कर सकेगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को भेजी जाएगी ।

(3) उपनियम (2) के अधीन आदेश की प्रति के प्राप्त होने पर प्राधिकरण उक्त आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दे सकेगा और केन्द्रीय सरकार ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् उपनियम (1) के अधीन उसके द्वारा पारित आदेश को रद्द, उपांतरित या पुष्ट कर सकेगी या ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगी, जो उसकी राय में न्यायसंगत और समीचीन हो ।

अध्याय 4

प्राधिकरण, अध्यक्ष, निदेशक और सचिव की शक्तियां

22. **व्यय उपगत करने तथा हानियों को अपलिखित करने की शक्ति**—(1) अधिनियम, इन नियमों और तत्समय प्रवृत्त राजस्व और व्यय से संबंधित केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण, ऐसा व्यय उपगत कर सकेगा, जो वह उन मदों के संबंध में, जिनके लिए बजट में प्रावधान किया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई राशि के भीतर ठीक समझे ।

(2) प्राधिकरण चोरी, कपट या उपेक्षा के कारण हुई दस हजार रुपए तक की हानियों को अपलिखित कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए साधारण मार्गदर्शक सिद्धान्तों के, यदि कोई हैं, अनुपालन के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मामले में 20,000 रु० तक की हानियों को अपलिखित कर सकेगा या वसूलियों का अधित्यजन कर सकेगा ।

(3) **प्राधिकरण द्वारा व्यय**—शीर्षों के अधीन उपशीर्षों के बीच पुनर्विनियोजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए मंजूर किए गए संपूर्ण बजट के भीतर किया जा सकेगा ।

(4) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भारत के बाहर किसी एक मद पर पन्द्रह हजार रुपए से अधिक का व्यय उपगत नहीं करेगा ।

23. **उधार लेने की शक्ति**—प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, अपने व्ययों को पूरा करने के लिए या धारा 9 में निर्दिष्ट उपायों को करने के लिए सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास निधि या उसकी अन्य आस्तियों की प्रतिभूति पर उधार ले सकेगा ।

24. **संविदाएं**—(1) प्राधिकरण अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए कोई भी संविदा कर सकेगा :

परन्तु यह कि—

(क) ऐसी प्रत्येक संविदा, जो तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए है या जिसमें एक लाख रुपए से अधिक का व्यय अन्तर्वलित है; और

(ख) फर्मों या विदेशी सरकारों के साथ तकनीकी सहयोग या परामर्शी सेवाओं के लिए किए जाने वाले प्रत्येक करार या संविदा के लिए,

केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी ।

(2) संविदाएं प्राधिकरण पर तब तक बाध्यकारी नहीं होंगी जब तक वे अध्यक्ष या संबद्ध समुचित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निष्पादित न की गई हों ।

(3) प्राधिकरण का अध्यक्ष या कोई अधिकारी या उसका कोई भी सदस्य, प्राधिकरण द्वारा दिए गए किन्हीं भी आश्वासनों या की गई संविदाओं के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी नहीं होगा और ऐसे आश्वासनों या संविदाओं के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के दायित्व का निर्वहन प्राधिकरण के व्ययनाधीन धन से किया जाएगा ।

25. **अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियां**—(1) अध्यक्ष प्राधिकरण के उचित कार्यकरण और अधिनियम तथा इन नियमों के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

(i) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिनके अन्तर्गत निदेशक और सचिव भी हैं, छुट्टी देना;

(ii) प्राधिकरण के सभी विभागों और अधिकारियों पर, जिनके अन्तर्गत निदेशक और सचिव भी हैं, प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करना;

(iii) अधिनियम या इन नियमों के अधीन यथा-अपेक्षीत दस्तावेजों और अभिलेखों की मांग करना और भंडारण के या कारबार के लेखाओं और स्थानों का निरीक्षण करना या निरीक्षण कराना;

(iv) आकस्मिकताओं, आपूर्तियों और सेवाओं के लिए व्यय और प्राधिकरण के कार्यालय के कार्यों के लिए अपेक्षित वस्तुओं का क्रय करने की मंजूरी देना; और

(v) धारा 9 में निर्दिष्ट उपायों को करना ।

(3) अध्यक्ष को प्राधिकरण या उसकी किसी समिति से यह अपेक्षा करने की शक्ति होगी कि वह यथास्थिति, प्राधिकरण या समिति द्वारा किए गए किसी विनिश्चय के अनुसरण में की जाने वाली कार्रवाई को ऐसे विनिश्चय पर केन्द्रीय सरकार के निर्देश के लंबित रहने तक आस्थगित करे ।

(4) जहां प्राधिकरण या किसी समिति द्वारा किसी मामले को निपटाया जाना है और उस मामले की बाबत किसी विनिश्चय को, यथास्थिति प्राधिकरण या समिति की बैठक तक या यथा-स्थिति, प्राधिकरण या समिति के सदस्यों के बीच उस मामले से संबंधित संकल्प के परिचालन के पूरा होने तक, रोका नहीं जा सकता है, वहां अध्यक्ष स्वयं विनिश्चय कर सकेगा ।

(5) जहां उपनियम (4) के अंतर्गत अध्यक्ष कोई विनिश्चय करता है वहां वह उसे, यथास्थिति, प्राधिकरण या समिति को अनुसमर्थन के लिए उसकी अगली बैठक में प्रस्तुत करेगा : परन्तु जहां, यथास्थिति, प्राधिकरण या समिति, अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई को उपांतरित या रद्द कर देती है वहां ऐसे उपांतरण या रद्दकरण के पहले की गई किसी कार्रवाई का उस सीमा तक प्रभाव होगा कि इस प्रकार की गई कार्रवाई को भूतलक्षी प्रभाव से उपांतरित या रद्द नहीं किया जा सकता है ।

26. **निदेशक की शक्तियां**—(1) निदेशक, अपतट और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों, प्रसंस्करण, निरीक्षण, क्वालिटी नियंत्रण, बाजार आसूचना और अन्य तकनीकी कार्यों से संबंधित विभिन्न विषयों की योजना बनाने, विकास और मूल्यांकन की बाबत प्राधिकरण द्वारा किए गए विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) निदेशक प्राधिकरण को ऐसी नियतकालिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा, जो समुद्री उत्पादों के निर्यात के संबंध में बाजार संभावना, क्वालिटी नियंत्रण, पोतलदान-पूर्व निरीक्षण या किसी अन्य विषय और ऐसे उत्पादों के निर्यात की मात्रा को त्वरित करने के लिए किए जाने वाले उपायों, यदि कोई हो, के प्रति विशेष निर्देश से अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

27. **सचिव की शक्तियां**—(1) सचिव प्राधिकरण या समितियों द्वारा किए गए विनिश्चयों के कार्यान्वयन और अधिनियम या इन नियमों के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) ऐसे प्रत्यायोजन के अधीन रहते हुए, जो अध्यक्ष द्वारा उन अन्य अधिकारियों को किया जाए, जिन्हें इस नियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया हो, सचिव —

(क) सभी महत्वपूर्ण कागजात और विषयों को यथासाध्यशीघ्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कराएगा;

(ख) प्राधिकरण के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने की पद्धति के बारे में निदेश जारी करेगा;

(ग) अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी धनराशियों के लिए प्राधिकरण की ओर से रसीद देगा या प्राधिकरण के संकल्प के अधीन रहते हुए, रसीद देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा;

(घ) प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय का लेखा रखेगा या रखवाएगा; और

(ङ) प्राधिकरण के कार्यकरण के संबंध में एक वार्षिक प्रारूप रिपोर्ट अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में रिपोर्ट को संसद् के दोनों सदनों में रखे जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बाबत समय समय पर विनिर्दिष्ट तारीखों से पहले केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय 5

प्राधिकरण का वित्त, बजट और लेखे

28. **बजट प्राक्कलन**—(1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अगले वित्तीय वर्ष के लिए सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास निधि के संबंध में एक बजट तैयार करेगा और सरकार द्वारा नियत तारीखों को या उससे पहले उसे केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट के मंजूर होने तक तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उस व्यय की मंजूरी के प्राप्त होने तक कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा ।

(3) बजट निम्नलिखित रूप में या केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश किए गए अनुसार तैयार किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित उपदर्शित होगा :—

(i) प्राक्कलित आरंभिक अतिशेष ;

(ii) धारा 17 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राक्कलित प्राप्तियां ;

(iii) निम्नलिखित विस्तृत शीर्षों या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीमों के अनुसार ऐसे अन्य शीर्षों के अधीन वर्गीकृत प्राक्कलित व्यय :—

(क) प्रशासन;

(ख) विकास;

(ग) झींगा पालन;

(घ) बाजार और उत्पाद विकास;

(ङ) निर्यात संवर्धन और प्रचार;

(च) सांख्यिकी;

(छ) संकर्म;

(ज) वित्तीय और अन्य सहायता/सहायिकी स्कीम;

(झ) अन्य ।

टिप्पण : जहां कहीं लागू हो, अधिकारियों के वेतन, स्थापन का वेतन, भत्ते, मानदेय, आकस्मिकताएं और इस प्रकार के अन्य व्यय सहित प्राक्कलित व्यय उपदर्शित करते हुए, प्रत्येक विस्तृत शीर्ष के लिए विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन पूर्ण विवरण दिए जाएंगे ।

(4) व्यय के अनुपूरक प्राक्कलन, यदि कोई हो, ऐसे, प्ररूप में और ऐसी तारीखों को केन्द्रीय सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बाबत निदेशत की गई हो ।

29. **प्राधिकरण के लेखे**—(1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी प्राप्तियों और व्यय के लेखे रखेगा ।

(2) किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष में उपगत व्यय अलग शीर्षों और उप-शीर्षों के अधीन दर्शित किया जाएगा ।

(3) आरंभिक अतिशेष, यदि कोई है, भी इसी प्रकार पृथक रूप से बताया जाएगा ।

(4) वर्ष के अंत अतिशेष को व्यय भाग में लेखाओं के नीचे दर्शाया जाएगा ।

30. **प्राधिकरण की निधियों का बैंकों में जमा किया जाना और ऐसी निधियों का विनिधान**—(1) खुदरा नकद और अधिशेष धनराशि को छोड़कर प्राधिकरण के चालू खर्च के लिए अपेक्षित धनराशि जिला खजाने या उप-खजाने के वैयक्तिक खाते में या भारतीय स्टेट बैंक या उसके किन्हीं समनुषंगी बैंकों या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के चालू खाते में रखी जाएगी ।

(2) ऐसी निधियां, जो चालू व्यय के लिए अपेक्षित नहीं है, लोक लेखा में केन्द्रीय सरकार के निक्षेप खाते में रखी जाएंगी :

परन्तु चालू व्यय के लिए अनपेक्षित प्राधिकरण की पेंशन निधि या भविष्य निधि की निधियों का न्यासी प्रतिभूतियों या दस-वर्षीय खजाना बचत निक्षेप प्रमाणपत्रों या राष्ट्रीय रक्षाप्रमाण पत्रों में अनुज्ञेय सीमा तक विनिधान किया जा सकेगा या उसे भारतीय स्टेट बैंक या उसके किसी समनुषंगी बैंक में या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए तो किसी अन्य अनुसूचित बैंक में सावधिक निक्षेप के रूप में रखा जा सकेगा ।

(3) प्राधिकरण द्वारा या प्राधिकरण की ओर से कोई संदाय नकद में या प्राधिकरण के चालू खाते से निकाले जाने वाले चेक द्वारा किया जाएगा ।

31. **सामान्य रूप में वित्तीय संव्यवहार**—इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय केन्द्रीय खजाना नियम, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 तथा तत्समय प्रवृत्त केन्द्रीय सरकार के साधारण वित्तीय नियम, 1962 के उपबंध ऐसे उपांतरणों या अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा उनमें किए जाएं, प्राधिकरण के सभी वित्तीय संव्यवहारों को लागू होंगे ।

अध्याय 6

अतिरिक्त कृत्य

32. **ऐसे अतिरिक्त विषय, जिनके संबंध में प्राधिकरण द्वारा उपाय किए जा सकेंगे**—प्राधिकरण धारा 9 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त अपने कृत्यों के निर्वहन में निम्नलिखित उपाय कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) सामुद्रिक उत्पादों की संभलाई और प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित किसी मशीनरी, उपस्कर या अतिरिक्त पुर्जों की, जिसके अन्तर्गत अनुषंगी सामग्रियां भी हैं, अपेक्षाओं का निर्धारण; और जहां आवश्यक हो, ऐसी मशीनरी, उपस्कर, अतिरिक्त पुर्जे और सहायक सामग्रियों के आयात के लिए सिफारिश करना और उसकी व्यवस्था करना;

(ख) देशी प्रसंस्करण उपस्कर की क्वालिटी के मानकों का निर्धारण करना और उनके सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(ग) सामुद्रिक उत्पाद उद्योग के लिए अपेक्षित उपस्कर की नई आधुनिक मदों के विनिर्माण का सुझाव देना;

(घ) प्रसंस्करण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता की वृद्धि करना;

(ङ) शीतागार, परिवहन और अन्य सुविधाओं के लिए सामुद्रिक उत्पाद उद्योग की अपेक्षाओं का निर्धारण करना तथा ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करना;

(च) सामुद्रिक उत्पादों की उच्च क्वालिटी को बनाए रखने के लिए प्रसंस्करण संयंत्र उपस्कर और अन्य विषयों का अभिन्यास विनिर्दिष्ट करना और उसे प्रवृत्त करना;

(छ) विद्यमान और नए पत्तनों से सामुद्रिक उत्पादों का नौभरण विनियमित करने के लिए प्रशीतन स्थान की मांग और उपलब्धता का समन्वय करना और उसे धारित करना;

(ज) भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से मत्स्यिकी के संरक्षण और प्रबंध के लिए विनियामक उपाय करना; और

(झ) ऐसे अन्य उपाय करना, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्यात के प्रति विशेष निर्देश से, सामुद्रिक उत्पाद उद्योग का सुधार, संगठन और विकास करेंगे ।

अध्याय 7
रजिस्ट्रीकरण

33. **रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन**—(1) किसी मत्स्य जलयान, सामुद्रिक उत्पादों के लिए प्रसंस्करण संयंत्र या भंडारण परिसर या सामुद्रिक उत्पादों के परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी को प्रत्येक आवेदन के लिए पांच रुपए के संदाय पर प्राधिकरण के कार्यालयों से प्राप्य, यथास्थिति, प्ररूप 1, प्ररूप 2, प्ररूप 3 या प्ररूप 4 में, किया जाएगा ।

(2) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मत्स्य जलयान, प्रसंस्करण संयंत्र, भण्डारण परिसर या वाहन के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट फीस भी होगी ।

सारणी

(1)	(2)
1. **मत्स्य जलयान**	रु०
(क) 45′ तक लंबाई वाले मत्स्य जलयान	25.00
(ख) 15′ से अधिक लंबाई वाले मत्स्य जलयान	100.00
2. **भाण्डागार**	
(i) ठण्डा और हिमशीतित	
(क) 50 टन तक की क्षमता रखने वाले भाण्डागार के लिए, जिसके अंतर्गत 50 टन क्षमता वाला भाण्डागार भी है (ठण्डा और हिमशीतित, दोनों)	50.00
(ख) 50 टन से अधिक क्षमता रखने वाले भाण्डागार के लिए (ठण्डा और हिमशीतित, दोनों)	100.00
(ii) ठण्डे और हिमशीतित से भिन्न	
(क) 50 टन तक की क्षमता रखने वाले भाण्डागार के लिए, जिसके अंतर्गत 50 टन की क्षमता वाला भाण्डागार भी है	10.00
(ख) 50 टन से अधिक क्षमता रखने वाले भाण्डागार के लिए	20.00
3. **प्रसंस्करण संयंत्र**	
(क) 5 टन तक के कच्चे माल की संभलाई की प्रसंस्करण क्षमता वाले संयंत्रों के लिए, जिसके अंतर्गत 5 टन की प्रसंस्करण क्षमता वाला संयंत्र भी है	50.00
(ख) 5 टन से अधिक कच्चे माल की संभलाई की प्रसंस्करण क्षमता वाले संयंत्रों के लिए	100.00
4. **वाहन**	25.00 प्रति वाहन

34. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का दिया जाना**—(1) नियम 33 के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर, उक्त नियम के उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी प्राधिकरण के संबद्ध क्षेत्रीय अधिकारी से आवेदन में दिए गए विवरणों की जांच कराएगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूनिट प्राधिकरण द्वारा विहित मानदंडों का पालन करती है, संबंधित यूनिटों का निरीक्षण कराएगा । उपर्युक्त अधिकारी यथापूर्वोक्त क्षेत्रीय अधिकारी की सत्यापक और निरीक्षण रिपोर्ट से अपना समाधान होने पर ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा । तथापि, इस आवेदन में किसी त्रुटि के पाए जाने की दशा में आवेदक का ध्यान विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस त्रुटि को ठीक करने का लिखित रूप में अनुरोध करते हुए इस ओर दिलाया जाएगा और आवेदक द्वारा ऐसी अवधि में त्रुटि को ठीक करने में असफल रहने पर रजिस्ट्रीकरण नामंजूर कर दिया जाएगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण का आवेदन नामंजूर किया जाता है, वहां ऐसे रद्द करने के कारण लेखबद्ध किए जाएंगे और नामंजूरी के आदेश के साथ उसकी एक प्रति आवेदक को भेज दी जाएगी तथा आवेदक द्वारा संदत्त फीस उसे वापस कर दी जाएगी ।

(3) जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र नामंजूर नहीं किया जाता है वहां, यथास्थिति, प्ररूप 5, प्ररूप 6, प्ररूप 7 या प्ररूप 8 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया जाएगा और वह प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नियंत्रणों और शर्तों के अधीन होगा ।

35. **अतिरिक्त जानकारी की मांग करने की शक्ति**—(1) सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी आवेदक से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी अतिरिक्त जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जिसे वह रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे है और ऐसा प्रत्येक आवेदक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी जानकारी देने के लिए आबद्ध होगा ।

(2) यदि आवेदक, मांगी गई सूचना देने में असफल रहता है या गलत सूचना देता है, तो सचिव या अन्य अधिकारी, आदेश